



**DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA**

NATIONAL SAFETY AWARDS (MINES), 2016

In recognition of good safety performance in the mines covered under the Mines Act, 1952, the Government of India, Ministry of Labour and Employment has instituted National Safety Awards(Mines). These prestigious awards for safety of mine workers in Coal, Metalliferous and Oil mines are being presented to the mines every year since 1984 in two categories-

- i) Longest Accident Free Period, and
- ii) Lowest Injury Frequency Rate.

Online applications are hereby invited from all Owner/Agent/Manager of mines coming under the purview of Mines Act, 1952, for National Safety Awards(Mines) for the contest year 2016. The last date of filling online applications is 25.09.2017. Interested Mine management/Companies can apply online only from 01.09.2017 to 25.09.2017 and no other mode of application will be accepted. The schedule of submitting online applications is as follows :

Sl.	Schedule	Date & Time
1.	Opening date for Registration and Online application for NSA(Mines), 2016	01-09-2017, 0000 hrs
2.	Closing date for submitting online application	25-09-2017, 2400 hrs
3.	Submitting of print out of completely filled in application form with signature of competent authority on each page	04-10-2017, 1800 hrs

The print out of completely filled in applications with signature of competent authority on each page should reach to **"THE MEMBER SECRETARY, NSA (MINES) COMMITTEE & DIRECTOR OF MINES SAFETY (STAT), DGMS, DHANBAD – 826001 (JHARKHAND)"**, on or before **04th October, 2017**. Delay in postal service will not be entertained.

No application fee is required for contesting mines.

For submitting online applications and detailed instruction on filling online applications please visit www.dgms.gov.in.

For any clarification applicant may send email to dir.stat@dgms.gov.in & isnindian@gmail.com and may contact 9471192350, 9334097544.

**Director General of Mines Safety & Chairman,
National Safety Awards (Mines) Committee**



खान सुरक्षा महानिदेशालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार



राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान), 2016

खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत खानों में बेहतर सुरक्षा निष्पादन की पहचान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) की शुरुआत की है। यह पुरस्कार कोयला, धातु एवं तेल खानों में नियोजित कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रति वर्ष दो श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है :

- i) दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि दर, एवं
- ii) निम्नतम चोट आवृत्ति दर

खान अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले सभी खानों के मालिक/एजेंट/प्रबंधक से प्रतियोगिता वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25.09.2017 है। इच्छुक खनन प्रबंधन एवं कंपनियाँ दिनांक 01.09.2017 से 25.09.2017 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की दूसरी अन्य विधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अनुसूची निम्नवत है।

क्रम सं.	अनुसूची	तिथि एवं समय
1.	राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) 2016 के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने तथा पंजीकरण की तिथि	01-09-2017, 0000 घंटा
2.	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	25-09-2017, 2400 घंटा
3.	पूर्णतः भरे हुए आवेदन एवं उसके प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर किया हुआ मुद्रित आवेदन देना	04-10-2017, 1800 घंटा

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की मुद्रित प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर आवेदन प्रपत्र 04 अक्टूबर, 2017 या इससे पूर्व "सदस्य सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समिति एवं खान सुरक्षा निदेशक (सांख्यिकी), खा.सु.म.नि, धनबाद - 826001 (झारखंड)", तक पहुंच जाना चाहिए। डाक सेवा में विलंब पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतियोगी खानों के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने तथा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.dgms.gov.in पर जाएँ।

किसी भी तरह स्पष्टीकरण के लिए आवेदन dir.stat@dgms.gov.in तथा isnindian@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं एवं दूरभाष सं. 9471192350, 9334097544 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

खान सुरक्षा महानिदेशक एवं अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समिति